रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112025-267869
CG-DL-E-20112025-267869

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 772] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2025/कार्तिक 29, 1947
No. 772] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2025/KARTIKA 29, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 858(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की द्वितीय अनुसूची में,—

(i) मद 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

“6क	सीज़ियम:	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट सीज़ियम धातु पर प्रभार्य सीज़ियम धातु की औसत विक्रय कीमत का दो प्रतिशत।”;

(ii) मद 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात:—

“22	ग्रेफ़ाइट:	
	(i) 80% या अधिक स्थिर कार्बन के साथ	मूल्यानुसार आधार पर औसत विक्रय कीमत का दो प्रतिशत।
	(ii) 80% से कम स्थिर कार्बन के साथ	मूल्यानुसार आधार पर औसत विक्रय कीमत का चार प्रतिशत।”;

(iii) मद 38ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात: —

"38ग	रुबिडियम:	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट रुबिडियम धातु पर प्रभार्य रुबिडियम धातु की औसत विक्रय कीमत का दो प्रतिशत।";

(iv) मद 54क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात: —

"54ख	ज़िरकोनियम:	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट ज़िरकोनियम धातु पर प्रभार्य ज़िरकोनियम धातु की औसत विक्रय कीमत का एक प्रतिशत।"।

[फा. सं. एम.VI-1/6/2021-खान VI]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की दूसरी अनुसूची का संशोधन संख्यांक सा.का.नि. 175(अ), तारीख 31 मार्च, 1975 द्वारा किया गया था और अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि. 152(अ), तारीख 1 मार्च, 2024 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2025

G.S.R. 858(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—

2. In the Second Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957,—

(i) after item 6 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

"6A.	Caesium:	Two per cent. of the average sale price of Caesium metal chargeable on the Caesium metal contained in the ore produced.";

(ii) for item 22 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

"22.	Graphite:	
	(i) With eighty per cent. or more fixed carbon	Two per cent. of average sale price on *ad valorem* basis.
	(ii) With less than eighty per cent. fixed carbon	Four per cent. of average sale price on *ad valorem* basis.";

(iii) after item 38B and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

"38C.	Rubidium:	Two per cent. of the average sale price of Rubidium metal chargeable on the Rubidium metal contained in the ore produced.";

(iv) after item 54A and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

"54B.	Zirconium:	One per cent. of the average sale price of Zirconium metal chargeable on the Zirconium metal contained in the ore produced.".

[F. No. M.VI-1/6/2021-Mines VI]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.

Note:— The Second Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) was amended vide G.S.R. 175(E), dated the 31st March, 1975 and was lastly amended vide G.S.R. 152(E), dated 1st March, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.11.20 22:24:11 +05'30'